न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 74 / 2023
GCMS No.2023/223

सुमन देवी पत्नी रूडमल उम्र ...... वर्ष जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0)

.......वादिया

ब–ना–म

1. रेखा कंवर पुत्री गिरवर सिंह
2. अन्तर देवी पत्नी स्व. गिरवर सिंह
3. अनिल सिंह पुत्र जयसिंह
4. आरती निर्वाण पुत्री जयसिंह
5. उल्ला देवी पत्नी स्व. जयसिंह
6. ज्योति राजपूत पुत्री जयसिंह
7. दलीप सिंह पुत्र चन्द्र सिंह
8. देशराज सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
9. धर्मवीर सिंह पुत्र ओमप्रकाश
10. नेतराम सिंह पुत्र कृषण सिंह
11. नानबाई पत्नी चन्द्र सिंह
12. निर्मला कंवरी पुत्री प्रहलाद सिंह
13. पूजा बाई पुत्री जयसिंह
14. पृथ्वी सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
15. प्रकाश सिंह पुत्र भूर सिंह
16. पूर्ण सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
17. प्रेम देवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश
18. पिंकी पुत्री रतन सिंह
19. बाबू सिंह पुत्र भूर सिंह
20. भादर सिंह पुत्र कालू सिंह
21. महेन्द्र सिंह पुत्र गिरवर सिंह
22. महावीर सिंह पुत्र गिरवर सिंह
23. मीनू सिंह पुत्र ओमप्रकाश
24. रणवीर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
25. राजपाल सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
26. राजेश कंवर पुत्री ओमप्रकाश
27. राम सिंह पुत्र चन्द्र सिंह
28. विद्या पत्नी सुभाष

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.07.03 14:57:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

29. विरेन्द्र सिंह पुत्र गिरवर सिंह
30. शमशेर सिंह पुत्र कालू सिंह
31. संजू कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह
32. सुनील सिंह पुत्र जयसिंह
33. सुप्यार कंवर पत्नी प्रहलाद सिंह
34. सुमन कंवर पुत्री गिरवर सिंह
35. सुरेश कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह
36. हेमन्द सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
    1 लगायत 36 जाति राजपूत निवासी ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू (राज.)
37. पिंकी देवी पत्नी राजेश यादव जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
38. दुर्गी पत्नी गूगनराम जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
39. श्री बालाजी एग्रीगेट इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड रजि. ऑफिस 411 सन एण्ड मून चैम्बर्स नियर अजमेर पुलिया, गोपाल बाड़ी, जयपुर जरिये डायरेक्टर श्री मनीष कुमार पुत्र श्री देवकरण जाति जाट निवासी खेतहपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज.)
40. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा कोलिहान नगर जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कोलिहान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
41. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, खेतड़ी तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं (राज.)

.........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय :– दिनांक 25–06–2024

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11–12–2023 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि **ग्राम डाडा फतेहपुरा** पटवार हल्का डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी हाल जिला नीमकाथाना राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के हाल खाता संख्या 129 के हाल खसरा नंबर क्रमशः 2270/1025, 2288/1917, 441, 442, 443, 444, 445 कुल किता 7 कुल रकबा 8.96 हैक्टेयर में वादिया के 473/11760 हिस्से की भूमि का 12 फुट चौडा रास्ता कायम कर[illegible] काश्त के अनुसार खाता अलग कायम कर लगान अलग से कायम किये [illegible] दिया जाता है। शेष पक्षकारान का खाता संयुक्त रखा जावे। [illegible] काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बधी राजस्व विभाग के परित्र दिनांक 06.11.2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म.

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.07.03 14:57:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

/न्याय/स्था./प–15/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2024/89 दिनांक 19.01.2024 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादिया विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादिया ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19–01–2024 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19–01–2024 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–6'' व ''ब'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19–01–2024 (प्रदर्श–''अ–1 लगा. अ–1'' व ''ब'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19–01–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–6'' व ''ब'') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19–01–2024 (प्रदर्श–''अ–1 से अ–6'' व ''ब'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/6/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
जिला- नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.07.03 14:57:37 IST
Reason: SelfAttested